रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26082025-265718
CG-DL-E-26082025-265718

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 533]	नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 26, 2025/भाद्र 4, 1947
No. 533]	NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 26, 2025/BHADRA 4, 1947

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 577(अ).— केन्द्रीय सरकार दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की केंद्रीय सरकार एतद्वारा धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण में सवार हरकारा (थ्री व्हीलर ड्राइवर) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् –

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली विकास प्राधिकरण, सवार हरकारा (थ्री व्हीलर ड्राइवर), (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2025 होगा।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर, वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. प्रारंभिक गठन- सवार हरकारा (डिसपेच राइडर/ थ्री व्हीलर ड्राइवर) के पद पर आसीन पदधारियों, जिन्हें इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व दिल्ली विकास प्राधिकरण के संकल्प संख्या 70/1993, तारीख 08 जून, 1993 द्वारा नियमित आधार पर उक्त पद पर नियुक्त किया गया था, द्वारा की गई सेवा को परिवीक्षा, पुष्टिकरण, प्रोन्नति आदि के प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

6. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वालों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सवार हरकारा (श्री व्हीलर ड्राइवर)	15*(2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	**समूह 'ग', अननुसचिवीय**	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 2 (19900 रु. – 63200रु.).	अचयन	27 वर्ष से अधिक आयु नहीं हो (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पणी: आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख, अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला और चम्बा जिले के पांगी उपखंड तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और लदाख के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	**आवश्यक:** (i). किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण; (ii). मोटर साइकिल और हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखना; और (iii). हल्के मोटर वाहन चलाने का पांच वर्ष का अनुभव। **वांछनीय:** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिक मोटर वाहन का व्यवसाय प्रमाण-पत्र।

क्या सीधे भर्ती किए जाने वालों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	**परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा /प्रतिनियुक्ति, आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है**	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
आयु- नहीं **शैक्षिक अर्हताएं- हां**	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष। टिप्पणी: केंद्रीय सरकार द्वारा विहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा टिप्पणी: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के अधीन अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी:- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रुपये) या समकक्ष में स्तर-1 में नियमित आधार पर पदों पर नियुक्ति के बाद तीन वर्ष की सेवा की हो; और (ख) **जो स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक**	प्रोन्नति: **(क) वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रुपये) में स्तर-1 के समूह 'ग' कर्मचारियों में से, जिन्होंने उस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो और निम्नलिखित अर्हताएं रखते हों:-** (i) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल या मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण; (ii) मोटर साइकिल और हल्के मोटर वाहनों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखते हों ; और (iii) मोटर साइकिल या तिपहिया या हल्के मोटर वाहन चलाने का दो वर्ष का अनुभव; (ख) विभाग द्वारा आयोजित ड्राइविंग टेस्ट में उत्तीर्ण होने के अधीन। टिप्पणी: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों की प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, वहां उनसे वरिष्ठ सहकर्मियों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी सेवा अवधि अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे या दो वर्ष, जो भी कम हो, से अधिक कम न हो तथा उन्होंने अपने पहले ही अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:- 1.निदेशक (कार्मिक) – अध्यक्ष; 2. मुख्य उप लेखा अधिकारी – सदस्य; 3.उप निदेशक (गोपनीय रिपोर्ट)- सदस्य; 4. उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधि -सदस्य। समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:- 1. निदेशक (कार्मिक)- अध्यक्ष; 2. उप मुख्य लेखा अधिकारी- सदस्य;	लागू नहीं होता।

		अर्हताएं और अनुभव रखते हों।	लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर लेने वाले कनिष्ठ सहकर्मियों के साथ परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो।	3. उप निदेशक (कार्मिक)-IV- सदस्य; 4. संबंधित विभागाध्यक्ष- सदस्य; 5. उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधि -सदस्य।	

[फा. सं. K-11011/09/2024-DD.II]

डी. तारा, अपर सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2025

G.S.R. 577(E).— In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of section 56 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Despatch Rider/Three Wheeler Driver in Delhi Development Authority, Ministry of Housing and Urban Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the Delhi Development Authority, Despatch Rider/Three Wheeler Driver (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication of the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix. -** The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to

(4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. -** The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. -** No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Initial constitution**. - The incumbents holding the post of Despatch Rider/Three Wheeler Driver who were appointed on the regular basis *vide* Delhi Development Authority's Resolution No. 70/1993 dated the 8th June 1993 to the said post and the service rendered by them in the said post before the commencement of these rules, shall be taken into account for the purposes of probation, confirmation, promotion, etc.

6. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Despatch Rider/ Three Wheeler Driver.	15* (2025) *Subject to variation dependent on work load.	Group 'C', Non-Ministerial.	Level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200).	Non-selection.	Not exceeding 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates upto the age of forty years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep and Ladakh.	**Essential:** 10th class pass from a recognised Board; possessing a valid driving license for driving motor cycle and light motor vehicle; and five years' experience of driving light motor vehicles. **Desirable:** A trade certificate of mechanic motor vehicle from a recognised institute of Central Government or State Government.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruit will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled byvarious methods.**	**In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.**	**If a Departmental Promotion Committee exist, what is its composition.**	**Circumstances in which the Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.**
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Age-no. Educational qualifications - yes.	Two years For direct recruits. **Note:** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed b the Central Government.	By promotion, failing which by direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government,- (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in parent cadre or department; or (ii) with three years service rendered after appointment to the posts on regular basis in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for	Promotion: (a)From amongst group 'C' employees in level 1 in the pay matrix (Rs.18000-56900) with 3 years of regular service in the grade and possessing following qualifications:- (i) 8th class pass from a recognised school or recognised Board; (ii) possessing a valid driving license for motor cycle and light motor vehicles; and (iii) two years experience of driving motor cycle or three wheeler or light motor vehicles; (b) subject to have passed a driving test, to be conducted by the Department. **Note:** Where juniors who	Group 'C' Department Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Director (Personnel)-Chairperson; 2. Deputy Chief Accounts Officer - Member; 3. Deputy Director (Confidential Report) – Member; 4. Representative of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes nominated by the Vice- Chairman, Delhi Development Authority - Member. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Director (Personnel)-Chairperson; 2. Deputy Chief Accounts Officer- Member; 3. Deputy Director (Personnel)-IV - Member; 4. Concerned Head of Department – Member; 5. Representative for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes to be nominated by the Vice-Chairman, Delhi Development Authority- Member.	Not applicable

		direct recruits under column (7).	have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such Qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed service.		

[F. No. K-11011/09/2024-DD.II]

D. THARA, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA